



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 23 जुलाई, 2020

श्रावण 1, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1

संख्या 339/59-1-2020-35(के०बी०)-83  
लखनऊ, 23 जुलाई, 2020

अधिसूचना

प0आ०-173

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान पुत्र स्व० राजाराम, 225, लाजपत नगर, थाना-कटघर, जिला-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त करती हैं। उपाध्यक्ष की पदावधि, उनके गैर सरकारी सदस्य की पदावधि से सह विस्तारी होगी।

आज्ञा से,  
नवनीत सहगल,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 339/LIX-1-2020-35(K.B.)-83, dated July 23, 2020:

No. 339/LIX-1-2020-35(K.B.)-83

*Dated Lucknow, July 23, 2020*

IN exercise of the powers under sub-section (2) of section 5 of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Act, 1960 (U.P. Act no. X of 1960), the Governor is pleased to appoint Shri Ram Gopal *Alias* Gopal Anjan, S/o Late Rajaram, 225, Lajpat Nagar, Thana-Katghar, district-Moradabad, Uttar Pradesh as the Vice-Chairman of the Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board. The term of the office of the Vice-Chairman shall be co-terminus with the term of his office as non-official member.

By order,  
NAVNEET SEHGAL,  
*Apar Mukhya Sachiv.*